

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/म.गाँ.अनु./प्रस्ताव/61091/2022-23/384

दिनांक: 12/05/2023

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
भरतपुर/पाली/उदयपुर।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, धौलपुर/सिरोही/डूंगरपुर।

जरिये ई-मेल

विषय :- महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में किये गये रूपान्तरण को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- शासन का पत्रांक: प.04(15)शिक्षा-1/2022 पार्ट-1 जयपुर, दिनांक: 09.05.2023

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार/निदेशालय के स्वीकृति पत्रों के द्वारा निम्नांकित राजकीय विद्यालयों को महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-

क्र.सं.	शासन के आदेश की सूची में क्र.सं./दिनांक	निदेशालय के आदेश की सूची में क्र.सं./दिनांक	विद्यालय का नाम	डाईस कोड
01	66/ 23.02.2023	66/ 13.03.2023	महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) गढी चिन्तामन, जिला धौलपुर (212423)	08080422903
02	424/ 01.03.2023	422/ 10.04.2023	महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) लुनियापुरा, आबूरोड, जिला सिरोही (489899)	08190219402
03	72/ 07.02.2023	72/ 22.02.2023	महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) मदा फला, ब्लॉक डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (483929)	08270220603

(गौरव अग्रवाल)


IAS

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.), राजस्थान, बीकानेर।
9. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

10. संयुक्त निदेशक, जनशक्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
13. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल, जयपुर।
15. उप निदेशक (मूल्यांकन), शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
17. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा (संबंधित जिला)।
18. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (संबंधित जिला)।
19. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (संबंधित जिला)।
20. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा (संबंधित ब्लॉक)।
21. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
22. उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राजस्थान, जयपुर/सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ (कार्यालय हाजा) को प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर उक्तानुसार विद्यालय को अद्यतन करवाने की यथाशीघ्र कार्यवाही संपादित करावें।
23. सहायक निदेशक, माध्यमिक/योजना/बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा।
24. सहायक निदेशक, शैक्षिक अनुभाग, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
25. सहायक निदेशक, महात्मा गांधी अनुभाग (प्रभाग-ब), कार्यालय हाजा को शासन के उक्त पत्र दिनांक: 09.05.2023 की प्रति आगामी नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करने हेतु।
26. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक(महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर